

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी ३/१ अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांकः— एफ ९(५)(१४) पेंशन पोर्टल / सा.न्या.अ.वि / २०१५-१६ / १३५९२

जयपुर, दिनांक: २३/१०/१५

आदेश

कठिपय मामलों में पाया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के प्रमाणीकरण के दौरान ई-मित्र कियोस्क पर जाने पर किन्हीं कारणों से पेंशनर की अंगुली की छाप (फिंगर प्रिंट इम्प्रेशन) की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाती है। ऐसे मामलों में कियोस्क धारक के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके द्वारा वह यह प्रमाणित करेगा कि कई बार अंगुली की छाप लेने के बाद भी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है और वह पेंशनर की फोटो लेने के बाद अप्रमाणित डाटा पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी) को भेज देगा। ऐसे मामलों में पेंशनर पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत तौर से उपस्थित होगा तथा पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी पेंशनर की अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर डाटा प्रमाणित करेगा। इसके पश्चात प्रमाणीकरण की कार्यवाही को पूर्ण माना जाएगा और डाटा में भी चिन्हित किया जायेगा।

(एस.पी. मीणा)
निदेशक

क्रमांकः— एफ ९(५)(१४) पेंशन पोर्टल / सा.न्या.अ.वि / २०१५-१६ / १३५९३-१४११५ जयपुर, दिनांक: २३/१०/१५
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. जिला कलक्टर (समस्त) को उनके अधीनस्थ सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को निर्देशित किये जाने हेतु।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री आई.डी. वरियानी, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एन.आई.सी., राजस्थान निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सुविधा RAJSSP पोर्टल पर उपलब्ध कराने का श्रम करें।
5. जिला कोषाधिकारी (समस्त).....
6. ए.सी.पी. (पेंशन), मुख्यवास।
7. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निवेशक (पेंशन)